

- विज्ञापन -

क्रमांक - 511/जि.वि.से.प्रा.(LADCS)/2023,

जगदलपुर, दिनांक- 31 अगस्त, 2023

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जगदलपुर, जिला बस्तर छ0ग0 के अन्तर्गत स्थापित कार्यालय लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम (LADCS) के लिये कार्यालय सहायक/क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट-सह-डाटा एण्ट्री ऑपरेटर (टायपिस्ट) एवं कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट) कर्मचारियों के निम्न रिक्त पदों पर संविदात्मक भर्ती हेतु अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों और भारत सरकार द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

क	रिक्त पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित पद										आरक्षित पद													
			अन्य पिछड़ा वर्ग										अनुसूचित जाति					अनुसूचित जनजाति								
			मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	योग	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	योग	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	योग									
1	कार्यालय सहायक /क्लर्क	01	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	रिसेप्शनिस्ट-सह-डाटा एण्ट्री ऑपरेटर (टायपिस्ट)	01	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)	01	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग		03	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 15.09.2023 के शाम 5:00 बजे तक रहेगी । आवेदन कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जगदलपुर में रखे ड्राफ्ट बाक्स के माध्यम से दिनांक 01/09/2023 से प्रत्येक कार्यालयीन दिवसों में प्रातः 11 बजे से सायं 5:00 बजे तक डालकर प्रस्तुत करें । (अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे ।)

टीप :-

- परीक्षा तिथि पर अन्य कोई भी परिवर्तन करने का अधिकार जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जगदलपुर के पास सुरक्षित रहेगा ।
- उक्त पदों पर संविदात्मक नियुक्ति निश्चित/निर्धारित मानदेय पर की जावेगी, जिनका कार्यकाल 01 वर्ष की अवधि के लिये होगा । नियुक्त स्टाफ की उपस्थिति नियमित, कार्यप्रणाली संतोषप्रद, व्यवहारिक एवं व्यवस्थित होने पर नालसा के निर्देशानुसार कार्यकाल आगे बढ़ाया जा सकता है अथवा संतोषजनक कार्य नहीं पाये जाने पर उनकी नियुक्ति समाप्त की जा सकती है ।
- उक्त नियुक्तियों नालसा द्वारा जारी माड्यूल एवं लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित स्कीम, 2022 के प्रावधान अनुसार की जावेगी ।
- नियुक्त किये गये कर्मचारी छ0ग0शासन द्वारा वर्तमान में संविदा कर्मचारियों के सेवा शर्तों के लिये निर्धारित परिपत्र/नियम/शर्तों के प्रावधानों के अधीन शासित होंगे ।

भर्ती की पात्रता एवं शर्तें

(1) कार्यालय सहायक/क्लर्क पद के लिये :-

अ- निश्चित मानदेय क्लास-बी :- संविदा एकमुश्त रूपये 17,000/- मासिक
(इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा)

ब- शैक्षणिक योग्यता :-

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण । (Educational qualification : Graduation)
2. बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग कौशल और कम्प्यूटर संचालित करने की क्षमता और डाटा फीड करने का कौशल होना चाहिये । (Basis word processing skill and the ability to operate computer and skill to feed data)
3. पेपर की उचित सेटिंग के साथ अच्छी टाइपिंग गति की दक्षता होनी आवश्यक है । (Good Typing speed with proper setting of petition.)
4. श्रुतलेख लेने और न्यायालयों में प्रस्तुति के लिए फाईलें तैयार करने की क्षमता होनी चाहिये । (Ability to take dictation and prepare files for preseration in the courts.)
5. फाईल रख-रखाव और प्रसंस्करण का ज्ञान होना चाहिये । (File maintenane and precessing knowledge.)

(2) रिसेप्शनिस्ट-सह-डाटा एंट्री ऑपरेटर (टायपिस्ट) पद के लिये :-

अ- निश्चित मानदेय क्लास-बी :- संविदा एकमुश्त रूपये 14,000/- मासिक
(इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा)

ब- शैक्षणिक योग्यता :-

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण । (Educational qualification : Graduation)
2. उत्कृष्ट मौखिक और लिखित संचार कौशल की दक्षता होना चाहिये । (Exellent verbal and written communication skills.)
3. शब्द एवं डाटा प्रसंस्करण क्षमताएं होना चाहिये । (Word and data precessing abilities.)
4. दूरसंचार प्रणालियों (टेलीफोन, फैंक्स, मशीनें, स्वीचबोर्ड आदि) पर काम करने की क्षमता होनी चाहिये । (The ability to work telecommunication systems (Telephones, Fax machines, swichboards etc.)
5. कम्प्यूटर में अच्छा टायपिंग स्पीड की क्षमता होना चाहिये । (Proficiency with good typing speed.)

(3) कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट) पद के लिये :-

अ- निश्चित मानदेय क्लास-बी :- संविदा एकमुश्त रूपये 10,000/- मासिक
(इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा)

ब- शैक्षणिक योग्यता :-

1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा पांचवी उत्तीर्ण हो ।

आयु सीमा एवं पात्रता संबंधी शर्तें :

- (1) दिनांक 1/1/2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो परन्तु 35 वर्ष की आयु पूरी न की हो। छ0ग0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, रायपुर का ज्ञापन क्रमांक एफ-3-2/2015/1-3 नया रायपुर दिनांक 30/01/2019 के अनुसार छ0ग0 राज्य के स्थानीय निवासियों को सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट कलेण्डर वर्ष 1/1/2019 से 31/12/2023 की समाप्ति तक प्रदान की गयी है।

उच्चतम आयु सीमा में छूट:

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी:

- 2(एक)(1) यदि अभ्यर्थी छ0ग0 शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- 2(एक)(2) यदि अभ्यर्थी छ0ग0 शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक /एफ-7-25-93/1 असा0प0 दिनांक 20/01/1994 के अंतर्गत आयुसीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- 2(एक)(3) छ0ग0 शासन स्थायी/अस्थायी/ वर्कचार्ज या कण्टीनजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छ0ग0 राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 43 वर्ष तक रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।
- 2(एक)(4) ऐसे अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी सेवक को, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक सात वर्ष की कालावधि, भले ही कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा परन्तु उसके परिणामस्वरूप अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।
- स्पष्टीकरण:—** छटनी किए गए शासकीय सेवक, से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 6 माह तक रहा हो, तथा किसी रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।
- 2(एक)(5) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हों, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किंतु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हों।
- 2(एक)(6) महिलाओं के लिए आयु में शासन के नियमानुसार दस वर्ष शिथिलनीय होगी, जो कि उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।
- 2(एक)(7) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक फ1-2/2002/1/3 दिनांक 02/06/2004 के अनुसार शिक्षा कर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष शिक्षा कर्मों के रूप में सेवा की है। इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है, (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्तता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।
- 2(एक)(8) स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालेंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट आठ वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए दी जाएगी, किंतु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 2(एक)(9) विधवा, परित्यक्तता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी।
- 2(दो)(1) आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के संवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक—सी-3/10/85/3/1 दिनांक 29/06/1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

2(दो)(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी 3/18/85/3/1 दिनांक 3/9/1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप-

- 1- बिंदु क्रमांक 2(एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।
- 2- बिंदु क्रमांक 2(दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी। यह छूट बिंदु क्रमांक 01 में दी गयी विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

उदाहरण-

यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ-साथ ग्रीनकार्ड धारी तथा विक्रम पुरस्कार प्राप्त हो तो उसे अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विक्रम पुरस्कार के आधार वाली 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

- 3- उपरोक्त 2(एक) और 2(दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी।
- 4- कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
- 5- कोई भी उम्मीदवार जिसके एक से अधिक पति/पत्नी जीवित हैं, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- 6- इसके अतिरिक्त आयु सीमा छूट एवं नियोग्यता (अपात्रता) सामान्य प्रशासन विभाग (छ0ग0शासन) द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश अनुसार भी लागू रहेगा।

आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

- 1- विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र पूर्णतः साफ सुथरा भरे एवं बंद लिफाफे में जिसके उपर आवेदित पद का नाम मोटे अक्षरों में उल्लेखित हो, को कार्यालय जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जगदलपुर, जिला-बस्तर (छ0ग0) में अंतिम तिथि 15.09.2023 की संध्या 5:00 बजे तक कार्यालय में रखे ड्राप बाक्स के माध्यम से प्रत्येक कार्यालयीन दिवसों में प्रातः 11 बजे से सायं 5 बजे तक जमा करना होगा। डाकघर या अन्य माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- 2- आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, तकनीकी योग्यता प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र (सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र), स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित प्रमाण-पत्र (यदि उपलब्ध हो तो) की अभिप्रमाणित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 3- जन्मतिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाणपत्र अथवा हाई स्कूल परीक्षा (भृत्य के लिए पांचवी कक्षा की स्वप्रमाणित अंकसूची) उत्तीर्ण करने की अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
- 4- आवेदन पत्र में स्वहस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, नाम एवं दिनांक सहित चस्पा होना चाहिए तथा पहचान के लिए आधार कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
- 5- अभ्यर्थी को एक से अधिक पदों के लिये पृथक-पृथक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 6- आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पूर्ण नाम एवं पता लिखे हुए दो लिफाफे प्रत्येक पर 5/- रुपये की डाक टिकिट चस्पा करते हुए आवश्यक रूप से संलग्न करें तथा दो पासपोर्ट साइज फोटो पृष्ठ भाग पर पूर्ण नाम उल्लेखित करते हुए पृथक से भेजे।

- 7- आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण भरें । अपूर्ण जानकारी के आधार पर आवेदन निरस्त किया जा सकेगा ।

नियुक्ति हेतु चयन विधि

1. **कार्यालय सहायक/क्लर्क पद के लिये :-**

(अ) **कौशल परीक्षा-**

पात्र उम्मीदवार को 2,500 Key Depression की हिन्दी गद्यांश को, निर्धारित समय 30 मिनट की सीमा में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा । प्रत्येक त्रुटि के लिये आधा अंक काटा जायेगा। जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिये भी होगा । कौशल परीक्षा 100 अंक का होगा ।

कार्यालय सहायक/क्लर्क पद हेतु अभ्यर्थियों की संख्या यदि अत्याधिक हो, तो संख्या सीमित करने के प्रयोजन से अभ्यर्थियों के स्नातक के प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर रिक्त पदों के वर्गवार 10 गुणा के सीमा तक अभ्यर्थियों की छटनी की जा सकेगी ।

2. **रिसेप्शनिस्ट-सह-डाटा एंट्री ऑपरेटर (टायपिस्ट) पद के लिये :-**

(अ) **कौशल परीक्षा-**

पात्र उम्मीदवार को 2,500 Key Depression की हिन्दी गद्यांश को, निर्धारित समय 30 मिनट की सीमा में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा । प्रत्येक त्रुटि के लिये आधा अंक काटा जायेगा। जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिये भी होगा । कौशल परीक्षा 100 अंक का होगा ।

रिसेप्शनिस्ट-सह-डाटा एंट्री ऑपरेटर (टायपिस्ट) पद हेतु अभ्यर्थियों की संख्या यदि अत्याधिक हो, तो संख्या सीमित करने के प्रयोजन से अभ्यर्थियों के स्नातक के प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर रिक्त पदों के वर्गवार 10 गुणा के सीमा तक अभ्यर्थियों की छटनी की जा सकेगी ।

3. **कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट) पद हेतु -**

(अ) भृत्य के पद पर भर्ती हेतु पात्र उम्मीदवार की शारीरिक दक्षता परीक्षण आयोजित की जायेगी । उक्त परीक्षण में प्राप्त अंको के आधार पर चयन किया जायेगा ।

(ब) भृत्य हेतु अभ्यर्थियों की संख्या यदि अत्याधिक हो, तो संख्या सीमित करने के प्रयोजन से अभ्यर्थियों के कक्षा पांचवी के प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर रिक्त पदों के वर्गवार 10 गुणा के सीमा तक अभ्यर्थियों की छटनी की जा सकेगी ।

-: चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची :-

कौशल परीक्षा/शारीरिक दक्षता परीक्षण में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी, जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी । समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर वरीयता तय की जायेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जावेगी ।

नियम एवं अन्य शर्तें

1. आवेदकों का चयन प्रवीणता के आधार पर किया जायेगा ।
2. प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच उपरांत पात्र एवं अपात्र आवेदकों की सूची का प्रकाशन जिला न्यायालय की वेबसाइट:- [https:// districts.ecourts.gov.in/bastar](https://districts.ecourts.gov.in/bastar) पर प्रकाशित कर तथा कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जगदलपुर, जिला-बस्तर छ0ग0 के सूचना पटल पर चस्पा कर किया जाएगा।
3. पात्र अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा पृथक से जारी नहीं की जाएगी। अभ्यर्थी जिला न्यायालय के वेबसाइट <https://districts.ecourts.gov.in/bastar> से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा हेतु उपस्थित हो सकेंगे। डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी के छायाचित्र कॉलम में वर्तमान रंगीन फोटो चस्पा एवं स्वहस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा, साथ ही पहचान संबंधी दस्तावेज- आधार कार्ड/ वाहन चालन अनुज्ञापत्र/ मतदाता परिचय पत्र की जीवित मूल प्रति के साथ उपस्थित होना होगा, अन्यथा की दशा में परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकेगा।
4. भृत्य पद हेतु किसी अभ्यर्थी को कक्षा पांचवी में ग्रेड सिस्टम से ग्रेड प्रदान किया गया है तो यह अभ्यर्थी की जिम्मेदारी है कि संबंधित स्कूल से कक्षा पांचवीं में प्राप्त किये गये प्राप्तांकों एवं उनके प्रतिशत का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर स्वप्रमाणित दस्तावेज निर्धारित आवेदन प्रारूप के साथ संलग्न करें ।
5. परीक्षा एक दिवस में समाप्त नहीं होने पर आगामी तिथि को भी लिया जायेगा ।
6. चयनित आवेदकों की नियुक्ति नियत मानदेय पर होगी ।
7. अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा ।
8. ड्राप बाक्स के माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर ही विचार किया जायेगा ।
9. बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र के अभ्यर्थी को अपात्र माना जायेगा।
10. भर्ती प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने के लिए कार्यालय प्रमुख माननीय जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जगदलपुर, जिला-बस्तर छ0ग0 सक्षम होंगे।
11. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
13. चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पायी जाती है, तो की गयी नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी साथ ही संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी ।

विशेष :-

1. यह सुनिश्चित करने का दायित्व स्वयं आवेदक का होगा कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं । अतः आवेदन करने से पहले आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं कर लें, और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भेजें । परीक्षा में सम्मिलित किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है । चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी ।
2. प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित अभिलेख अंतिम चयन परिणाम के छः माह के पश्चात् विनिष्टीकरण किये जाने योग्य होंगे । उक्त भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी को भी सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जानकारी प्रदान नहीं की जायेगी । भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत केवल 3 माह तक ही सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी प्रदान की जायेगी ।

स्थान :- जगदलपुर,

दिनांक :- 31.8.23



अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
जगदलपुर, जिला-बस्तर छ0ग0

आवेदन पत्र का प्रारूप

(कार्यालय सहायक/क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट-सह-डाटा एण्ट्री ऑपरेटर (टायपिस्ट) एवं कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट) के पद पर नियुक्ति हेतु)

प्रति,

जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
जगदलपुर, जिला-बस्तर (छत्तीसगढ़)

आवेदक का
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज रंगीन
फोटो, नाम एवं
दिनांक सहित

1. आवेदित पद का नाम :
2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :
- (अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में) :
3. लिंग पुरुष/महिला :
4. पिता/पति का नाम :
5. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता :
-
- (ब) स्थाई पता :
-
6. (अ) जन्म तिथि (अंको में)

--	--	--	--	--	--	--	--

 :
- (शब्दों में) :
-
7. (बी) दिनांक 01/01/2023 को आयु :- वर्षमाहदिन
आवेदक का मोबाईल नंबर :
8. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का राज्य का मूल निवासी है ? हॉ/नहीं
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

(2)

9. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए घोषित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है ? हाँ/नहीं

(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र (स्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें।

11. क्या आवेदक दिव्यांग है ? हाँ/ नहीं
(यदि हां, तो दिव्यांगता संबंधी मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

12. दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत :.....

13. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है ? हाँ/नहीं
(यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

14. क्या आप विवाहित है ? हाँ/नहीं

15. यदि विवाहित है तो विवाह की तिथि

16. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :-

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	प्राप्तांक/ पूर्णांक	प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

17. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है ? हाँ/नहीं
(यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

(3)

18. स्वप्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....
- 6.....
- 7.....
- 8.....
- 9.....
- 10.....

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि, इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी सर्वश्रेष्ठ जानकारी और विश्वास के अनुसार सही एवं सत्य है और यदि ये झूठे पाये जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी ।

दिनांक :.....

स्थान :.....

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर
(आवेदक का पूर्ण नाम)